फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री प्रेम प्रकाश सालवी 36/521, कालका माता रोड, गणेश नगर, पायडा, उदयपुर
– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा
– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार,2005 **पत्रावली संख्या 10/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.03.2021 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा द्वारा जरिये क्रमांकः रीडर/सूचना का अधिकार/2018/295 दिनांक 23.03.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 के तहत दायर की गई अपील में यह तथ्य प्रकट किये गये कि ग्राम लडपचा में लाला, चुना पिता भवाना एवं हगामी बेवा चुना बलाई की अचल सम्पति किसके अधिकार में एवं किसको की गयी, इससे संबंधित रिकार्ड की सूचना का दिनांक 09.02.2017 का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, कार्यालय हाजा के भु0अ0 अनुभाग के पत्रांक 20 दिनांक 06.04.2017 के द्वारा अपिलार्थी को अवगत कराया गया कि वांछित सूचना/रिकार्ड की प्रतिलिपियॉ कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करें। उसके पश्चात उपस्थित होने पर कार्यालय से अपीलार्थी को सूचनाऍ उपलब्ध करवायी गयी हैं। कार्यालय को उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा के माध्यम से अपीलार्थी का दिनांक 21.02.2019 का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं से संबंधित सूचना/रिकार्ड कार्यालय हाजा के भु0अ0 अनुभाग के पत्रांक 1507–09 दिनांक 23.03.2019 के द्वारा अपिलार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना प्राप्त करने की इत्ताला दी गयी। उसके पश्चात उपस्थित होने पर कार्यालय से अपीलार्थी को वांछित सूचनाऍ उपलब्ध करवायी गयी हैं। अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत आवेदन पत्रों में यह तथ्य अंकित किए गए है कि खातेदार की मृत्यु के पश्चात नियमानुसार विरासत से वारिशान के नाम नामान्तरकरण से रिकार्ड में किस आधार से तब्दिली होने के बारे में प्रश्न किया जाकर अधुरी सूचना देने का हवाला दिया गया है एवं आप न्यायालय में भी यही तथ्य प्रकट किए गए हैं। खातेदार की मृत्यु के बाद विरासत से उसके वारिशान के नाम रिकार्ड में अंकन होने का आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित हैं। अपीलार्थी	

जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा मांगी गयी सूचना समय–समय पर कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तैयार करा उपलब्ध करा दी गई हैं। अन्य कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना बकाया नही हैं। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में अधुरी सूचना देने अथवा सूचना नही देने से संबंधित समस्त प्रकार का विवरण मनगढंत एवं काल्पनिक होकर कतई स्वीकार नही हैं।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना समय–समय पर कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तैयार करा उपलब्ध करा दी गई हैं।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)